डॉ. खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

भिलाई - 3

जिला - दुर्ग (छ.ग.)

नैक द्वारा बी+ ग्रेड से मूल्यांकित

प्रवेश विवरणिका

Visit us at : www.govtpgcollegebhilai.com
Email : kcbbhilai@gmail.com
Phone : 07826-255175

जनभागीदारी अध्यक्ष द्वारा स्वास्थ्य शिविर में रक्तदान

रेडक्रास द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण शिविर

प्राचार्य, डॉ. रीना मजूमदार

डॉ. खूबचंद बघेल जयंती के अवसर पर

बौद्धिक सम्पदा विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला

डॉ. खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय

NAAC Accredited B+

भिलाई-3, जिला - दुर्ग (छ.ग.)

(हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, दुर्ग से सम्बद्ध)

प्रवेश विवरण पत्रिका

मूल्य : 50/-

डॉ. खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-3

जिला - दुर्ग (छ.ग.)

फोन : 07826-255175

E-mail : kcbbhilai@gmail.com

Website : www.govtpgcollegebhilai.com

प्राचार्य के कलम से .....

यह हमारे समय की सबसे बड़ी विडम्बना है कि शिक्षा को महज रोजगार के एक साधन के रूप में ही देखा जा रहा है, जबकि शिक्षा वस्तुत: ज्ञान प्राप्ति का अदभुत श्रोत है, और ज्ञान इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति। शक्ति इसलिए कि शिक्षा न केवल हमारे भीतर बुनियादी मानवीय मूल्य जगाती है बल्कि हमारी संवेदना को माँज कर हमें एक बेहतर मनुष्य के रूप में गढ़ने का कार्य भी करती है। इसी वृहत्तर लक्ष्य को लेकर स्थापित डॉ. खूबचंद बघेल शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-3 अपनी स्थापना तिथि 15 अगस्त 1983 से लगातार इस क्षेत्र के लागों को शिक्षित, जागृत और प्रेरित करता रहा है। सन 2003 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी डॉ. खूबचंद बघेल के नाम पर इसका नामकरण किया गया।

यह महाविद्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग 6 पर स्थित रायपुर से लगभग 20 किलोमीटर और दुर्ग से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भिलाई स्टेशन से इसकी दूरी महज 3 किलोमीटर की है, एवं वहाँ तक पहुँचने के समुचित साधन उपलब्ध हैं।

यह महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली की 2 (एफ.) एवं 12 (बी.) की सूची में शामिल है। महाविद्यालय का आरंभ स्नातक स्तर पर कला संकाय के साथ हुआ पर जल्द ही 1984 में विज्ञान एंव वाणिज्य संकाय की भी स्थापना हो गयी। 1988 से महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर पाठ्यक्रम आरंभ हुए। जिसमें पहला संकाय वाणिज्य का था। इसके पश्चात 1997 में गणित एवं इतिहास, 2004 में अर्थशास्त्र, 2005 में समाजशास्त्र एवं 2007 में राजनीति विज्ञान में एम.ए. की कक्षाएं आरंभ हुई। परिणामत: इसे सन् 2006 में स्नातकोत्तर महाविद्यालय का दर्जा मिला। शैक्षणिक गतिविधियों के अतिरिक्त इस महाविद्यालय में एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं पृथक क्रीड़ा विभाग की भी व्यवस्था की गई। जो छात्रों के व्यक्तित्व को चहुमुखी आयाम देने में लक्ष्यरत है। महिला सशक्तिकरण के इस दौर में सन् 2009 में छात्राओं के लिए अलग से एन.सी.सी. इकाई का गठन किया गया। यही नहीं बल्कि सन् 2007-08 में इस महाविद्यालय में रेडक्रास सोसायटी के अंतर्गत एक रेड रीबिन क्लब का भी गठन हुआ ताकि न केवल छात्रों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाय बल्कि नियमित तौर पर उनके रक्त का परीक्षण करते हुए, वर्ष में कम से कम एक बार रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया जाय । क्रीड़ा विभाग खेलकूद की नियमित विधाओं में छात्र-छात्राओं को निरंतर सक्रिय रखते हुए उन्हें कई खेलों में दक्ष करने एवं राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें खेलने का अवसर भी प्रदान करता रहा है।

महाविद्यालय में लोक सेवा गारंटी (आवेदन, अपील एवं परिव्यय का भुगतान) अधिनियम 2011 पूर्ण रूप से प्रभावशील है। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का भी प्रभावशाली ढंग से लागू किया गया है।

यू.जी.सी. की 11 वी योजना से महाविद्यालय में नेटवर्क रिर्सोस सेंटर द्वारा इंटरनेट की सुविधा एवं कैरियर काउन्सिलिंग सेल द्वारा छात्र-छात्राओं को सिर्फ रोजगार गारंटी संबंधी मार्गदर्शन ही नहीं दिया जाता बल्कि विभिन्न कंपनियों एवं संस्थाओं में उनके नियोजन को भी प्रश्रय दिया जाता है।

यह महाविद्यालय विभिन्न संकायों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाएं संचालित करने हेतु हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग से संम्बद्ध है । अपने प्रयास से यह महाविद्यालय क्षेत्र के लोगों की अपेक्षाओं पर लगातार खरा उतरता रहा है। परिणाम स्वरूप नेक टीम के प्रथम दौरे में ही इसे B^+ (बी. प्लस) का ग्रेड प्रदान किया गया है, जो महाविद्यालय की गुणवत्ता बनाये रखते हुए, छात्रों के बहुमुखी विकास की दिशा में एक प्रेरक का कार्य करता है।

हम यह कामना करते है कि आप इस महाविद्यालय से शिक्षा प्राप्त कर न केवल रोजगार प्राप्त करें बल्कि समाज में अपनी अलग पहचान बनाते हुए, एक गरिमामय जीवन जीने की दिशा में सदैव आगे बढ़ते रहें।

आपके एक समृद्ध एवं उज्जवल भविष्य की कामना के साथ .....

डॉ. रीना मजूमदार, प्राचार्य

जन्म
19 जुलाई 1900

डॉ. खूबचंद बघेल

भारतीय स्वतंत्रता संग्राम
और छत्तीसगढ़ राज्य
निर्माण आन्दोलन के
महान नेता व
साहित्यकार

निर्वाण
02 फरवरी 1969

महाविद्यालय का गौरव

श्री कृष्णा चंद्राकर, सभापति नगर निगम भिलाई, चरोदा
श्री मनीष बंछोर, ओ.एस.डी. मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन
श्री नितिश दुबे, अध्यक्ष, जनभागीदारी समिति, भिलाई-3,
श्री पी. लक्ष्मी नरसिम्हा, अध्यक्ष, कांग्रेस सेवा दल, दुर्ग जिला ग्रामीण
श्री राकेश सिसोदिया, महामंत्री, कांग्रेस सेवा दल, दुर्ग ग्रामीण
श्री राजेश बघेल, एल्डर मेन, नगर निगम
श्री हेमन्त सिंह ठाकुर, एल्डरमेन

सलमा फारूखी, डी.एफ.ओ.
समा फारूखी, डी.एफ.ओ.
श्री अमित कुमार मिश्रा, डिप्टी जनरल मैनेजर
श्री प्रदीप झा, प्राध्यापक
श्री जीवन सिंह, यू.के.
आकांशा अग्रवाल. ए.बी.ई.ओ.
अन्नूपूर्णा वर्मा, व्याख्याता
श्री चंदन चौधरी, मैनेजर इंन्शुरेन्स कंपनी
प्रभा तिवारी, आर.टी.ओ. इन्सपेक्टर

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अंतर्गत -

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना, उपद्रवी अनुशासनहीनता क्रियाकलापों में संलग्न होना जिससे नये छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक एवं मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्र से ऐसा कार्य करने को कहना, जो छात्र/छात्रा सामान्यता नहीं कर सकता/सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो अथवा उसके जीवन के लिए खतरा हो।

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं. 1995), अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैगिंग की परिभाषा इस प्रकार है :-

किसी छात्र को मजाक में या किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव मर्यादा के खिलाफ हो या उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे वह हास्यापद हो जाए या डरा-धमकाकर गलत ढंग से रोक कर, गलत ढंग से बंद करके या उसे चोट पहुँचाकर या उसे इस प्रकार की धमकी, गलत अनुरोध, गलत ढंग से बंदी बनाने चोट या अनुचित दबाव का भय दिखाकर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैगिंग का स्वरूप -

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पायी जाती है :-

स्पष्ट आदेश -

- ❖ सीनियर छात्रों को सर कहने के लिए।
- ❖ सामूहिक कवायद करने के लिए।
- ❖ सीनियरों के क्लास - नोट्स उतारने के लिए।
- ❖ अनेक सौंपे हुए कार्य करने के लिए।
- ❖ सीनियरों के लिए मृत्योचित कार्य करने के लिए।
- ❖ अश्लील प्रश्न पूछने या उसका उत्तर देने के लिए।
- ❖ नये छात्रों को सीधेपन के विपरीत आघात पहुँचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए।
- ❖ शराब, उबलती हुई चाय, आदि पीने के लिए बाध्य करना।
- ❖ कामुक संकेतार्थ, वाले कार्य, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।
- ❖ नंगा करना, चुंबन लेना आदि।
- ❖ अन्य अश्लीलताएं करना।

रैगिंग में लिप्त होने पर दिये जाने वाला दण्ड -

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा/छात्रावास से निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षाओं से वंचित करना।
5. परीक्षा परिणाम रोकना।
6. राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय तथा युवा - उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
7. संस्था से रेस्टीकेट किया जाना।
8. आर्थिक दण्ड रूपये 25000/- तक।

डॉ. खूबचंद बघेल शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-3,
जिला-दुर्ग (छ.ग.)

प्रिय विद्यार्थी हम नए सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करते है, हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस संस्था के शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को बेहतर बनायेंगे।

महाविद्यालय में पढ़ाये जाने वाले संकाय, विषयों एवं उपलब्ध सीट की जानकारी :-

महाविद्यालय में तीन संकायों - कला, विज्ञान एवं वाणिज्य में स्नातक एवं स्नात्तकोत्तर कक्षाएं संचालित होती है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है -

क्र.	संकाय एवं कक्षा	उपलब्ध विषय	उपलब्ध सीट
	कला संकाय		
1.	स्नातक बी.ए. I, II, III	आधार पाठ्यक्रम :- हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण (प्रथम वर्ष में अनिवार्य) 1. हिन्दी साहित्य, 2. अंग्रेजी साहित्य/इतिहास 3. अर्थशास्त्र, 4. राजनीति शास्त्र/ गृह विज्ञान 5. समाजशास्त्र (5 ग्रुप में से 3 ग्रुप ले सकेंगे)	355
2.	स्नातकोत्तर एम.ए. I, II, III & IV सेमेस्टर	1. अर्थशास्त्र, 2. इतिहास 3. समाजशास्त्र 4. अंग्रेजी 5. राजनीति	30 30 30 30 20
	वाणिज्य संकाय		
1.	स्नातक बी.काम. I, II, III	आधार पाठ्यक्रम :- हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण (प्रथम वर्ष में अनिवार्य) सभी अनिवार्य विषय	355
2.	स्नातकोत्तर एम.काम. I, II, III & IV सेमेस्टर	सभी अनिवार्य विषय	80
	विज्ञान संकाय		
1.	स्नातक बी.एस.सी. I, II, III(Bio) बी.एस.सी. I, II, III(Maths)	आधार पाठ्यक्रम :- हिन्दी भाषा, अंग्रेजी भाषा, पर्यावरण (प्रथम वर्ष में अनिवार्य) 1. प्राणीशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, रसायन शास्त्र 2. गणित, भौतिक, रसायन शास्त्र	 90 80
2.	स्नातकोत्तर एम.एस.सी I, II, III & IV सेमेस्टर	गणित	20
	सूचना प्रौद्योगिकी		
1.	पी.जी.डी.सी.ए. I, II, सेमेस्टर	अनिवार्य विषय	100

टीप :- वाणिज्य स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर सभी अनिवार्य विषयों के साथ वैकल्पि विषय कम्प्यूटर एप्लिकेशन की सुविधा उपलब्ध है।

-: नियमित विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश :-

- विद्यार्थी निर्धारित शुल्क जिनकी रसीद दी जाती है, के अतिरिक्त कोई भी शुल्क की मांग किये जाने पर प्राचार्य को सूचित करें।
- विद्यार्थीयों को महाविद्यालय परिसर में परिचय पत्र लगाकर आना अनिवार्य है।
- नियमित कक्षाओं के दौरान बरामदे में चहल-कदमी न करें। ■ परिसर स्वच्छ व साफ सुथरा रखें। टायलेट को साफ-सुथरा बनाए रखें।
- खाली काल खण्डों में विद्यार्थी ग्रंथालय/वाचनालय में जाकर दैनिक अखबारों, पत्र-पत्रिकाओं एवं संदर्भ ग्रंथों का अध्ययन करें।
- स्टैण्ड में वाहन रखें एवं ताला लगाये अथवा महाविद्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।
- शालिन वेशभूषा के साथ महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करें। ■ शिक्षक-अभिभावक बैठकों में अपने अभिभावक/पालक को अवश्य लायें।
- ध्यान रहे पूरा महाविद्यालय परिसर सी.सी. कैमरे की निगरानी में है।
- शैक्षणिक/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्रीड़ा गतिविधियों में अवश्य भाग लेवें। ■ यूथ रेडक्रास एवं राष्ट्रीय सेवा योजना में सहभागी बनें।

छत्तीसगढ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
छत्तीसगढ के शासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नात्तकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त सत्र 2022-23

1. प्रयुक्ति -

1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धान्त छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।

2. प्रवेश की तिथि -

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-

इस वर्ष महाविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन फार्म जमा कराया जायेगा। जिन महाविद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे, उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगे। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धान्त के नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

(अ) अपरिहार्य कारणों से यदि ऑफलाईन आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।

(ब) प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 16 जून से 16 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 26 अगस्त तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्थातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 16 जून से तथा अन्य कक्षाओं हेतु 16 जून से 15 जुलाई तक या परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया की जावेगी। परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरान्त 10 दिवस के भीतर प्रवेश कार्य पूर्ण किये जायेगें। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सत्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

विशेष टीप :-

सत्र 2022-23 की प्रवेश प्रक्रिया में सी.बी.एस.सी./आई.सी.एस.सी. बोर्ड एवं अन्य बोर्ड जिनके परीक्षा परिणाम घोषित नहीं हुये है ऐसे आवेदक संबंधित बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा के अंतर्गत प्रथम टर्म में प्राप्त अंक पत्रक की छायाप्रति संबंधित विद्यालय के प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाकर अपलोड करेंगे। सी.बी.एस.सी. आई.सी.एस.सी. के ऐसे आवेदक जिनकों संबंधित विद्यालय द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित पत्रक उपलब्ध नहीं करा रहें है ऐसे आवेदक प्रथम टर्म के अंकों के लिए वचन पत्र स्वयं/अभिभावक के हस्ताक्षर से अपलोड करेंगे। वचन पत्र असत्य पाये जाने पर प्रवेशित विद्यार्थी का प्रवेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा पढ़ा जावे।

स्पष्टीकरण :-

आवेदक क ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान ब में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेना चाहता है, रिक्त स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक ख ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अत: अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

2.2 पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना-

विधि संकाय के अतिरिक्त अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमति के पश्चात गुणानुक्रम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी विश्वविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

3. प्रवेश संख्या का निर्धारण:-

3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र संख्या (सीट) अन्तर्गत ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते है तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा उच्च शिक्षा संचालनालय/उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही बढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।

3.2 विधि स्नातक प्रथम द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यक्रम बी.ए.एल.एल.बी. की कक्षाओं में बार कौंसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 60 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (न्यूनतम 2 सेक्शन एवं अधिकतम 5 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जाये।

3.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्ययन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

4. प्रवेश सूची:-

4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांको एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।

4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों की मूल प्रमाण पत्रों से मिलान प्रमाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर प्रवेश दिया गया की मोहर लगाकर उसे रद्द करना चाहिये।

4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रुप से निरस्त कर दिया जाये।

4.4 घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रुपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त रुप से वसूला जायेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 26 अगस्त के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (डुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये। स्थानांतरण प्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में विद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज किया जाये। पुलिस थाने की रिपोर्ट पर पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हो प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रैगिंग/अनुशासनहीनता/तोड़फोड़ आदि में संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सील बंद लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 राज्य शासन, द्वारा शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छुट प्रदान की गई है। अत: उक्त निर्देशों का पालन किया जाए।

5. प्रवेश की पात्रता -

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

(क) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी. राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिक्त होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

5.2 स्नात्तक स्तर, नियमित प्रवेश :-

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नात्तक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के

आवेदकों को विज्ञान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी. (गृह विज्ञान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीर्ण छात्र को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाठ्यक्रम से 12 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को केवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परन्तु यदि अभ्यर्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीर्ण आवेदकों को विज्ञान संकाय अथवा बी.एस.सी. (बायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ख) स्नात्तक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर विषय में परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नात्तकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश:-

(क) बी. कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नात्तक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एम. कॉम/एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम. ए. - प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर बी.एस.सी. उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी./एम.ए.-प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। एम. ए. प्रथम सेमेस्टर/पूर्व - भूगोल में उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश पात्रता होगी जिन्होने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपर के अतिरिक्त अर्हता संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय संबंधित आध्यादेश में उल्लेखित प्रावधान/अर्हता ही बंधनकारी होंगे।

(ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी.(Allowed to keep) नियम -

1. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवार्य है।
2. स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी.(Allowed to keep) नियमों के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित परीक्षा :-

(क) स्नात्तक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नात्तक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नात्तक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) एल.एल.बी. प्रथम सेमेस्टर एवं एल. एल. एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः एल.एल. बी. द्वितीय सेमेस्टर एवं एल. एल. एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्युनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति हेतु 40% अन्य पिछड़ा वर्ग 42% होगी। तथा विधि स्नात्तकोत्तर पूर्वार्द्ध में 55% अंक (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित जाति/ओ.बी.सी. हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.6 AFCT/ENCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/ MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रवेश/संचालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

6. समकक्ष परीक्षा :-

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी. बी.एस. ई.) इंडियन कौंसिल फार सेकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य मान्य बोर्ड की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते है।

6.2 सामान्यत: भारत में स्थित विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते है, किन्तु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ केम्पस आदि खोलकर छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसे संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रुप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारम्भ किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educationl Qualification Framework) के अन्तर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक 1-52/2013 (सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार - जैसा कि आपको ज्ञात है कि आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को नियमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण - पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाणपत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 तक के प्रमाणपत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से संबंध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डों द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अन्तर्गत छात्रों को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे है। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर 4 के प्रमाणित स्तर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नात्तक पूर्व किसी भी पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पास 10+2 स्तर में व्यावसायिक विषय थे वे अलाभकारी स्थिति में होंगे। अत: मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नात्तक पूर्व पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहे हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, ताकि उन छात्रों को क्षैतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सके।

7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

7.1 स्नातक स्तर तक बी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी. में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमश: द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु संबद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित प्रवेश दिया जाये। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर स्थिति विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नात्तकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीया, तृतीया सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नात्तक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्रात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारुप में एक शपथ पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूठी/गलत जानकारी पाये जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जायेगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रोंको 30 नवम्बर तक निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

8. अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-

8.1 स्नात्तक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा(कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.2 स्नात्तकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केंटी प्राप्त आवेदकों को अलगी कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.3 *विधि स्नात्तक त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष* में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

8.4 उपरोक्त कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

8.5 पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वत: निरस्त हो जायेगा। उत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रुप में मान्य किया जावेगा।

9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में आगामी वर्ष/वर्षों में पुन: नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जांच करवायें एवं जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जायें। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावें।

9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-

(क) छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक एफ 17-95/2017/38-2 दिनांक 15.08.2021 द्वारा सभी कक्षाओं एवं पाठ्यक्रमों में आयु सीमा के बंधन को समाप्त किया गया है।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत् कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरान्त लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा।

9.6 किसी संकाय में स्नात्तक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नात्तक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

10. प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण :-

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जायेगा।

(क) स्नात्तक एवं स्नात्तकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नात्तक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

11. प्रवेश हेतु प्राथमिकता :-

11.1 स्नात्तक/स्नात्तकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकताओं का आधार अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी।

11.2 स्नात्तक/स्नात्तकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण भूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सत्र के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण परन्तु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावें, अन्य क्रम यथावत रहेगा।

11.4 स्नात्तक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रदेश के किसी भी महाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों/तहसीलों/जिलों के निवासरत् अथवा परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदक विद्यार्थियों को भी गुणानुक्रम से प्रवेश दिया जाए।

11.5 किसी एक विषय की स्नात्तकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नात्तकोत्तर कक्षा में प्रवेश महाविद्यालय मे स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12. आरक्षण - छत्तीसगढ़ शासन की आरक्षण नीति के अनुरुप निम्नानुसार होगा -

12.1 प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में प्रवेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित रीति से होगा, अर्थात -

(क) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संस्था में से बत्तीस प्रतिशत सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से बारह प्रतिशत सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ग) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शाखा में वार्षिक अनुज्ञप्त संख्या में से चौदह प्रतिशत सीटे अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहेगी। परन्तु जहां अनुसूचित जनजातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त सीटों पर भी विपरीत क्रम में पात्र आवेदकों को प्रवेश दिया जाएगा। आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है तो इसे विपरीत क्रम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतु में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहां खण्ड (क) (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटे, अंतिम तिथियों पर रिक्त रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

12.2 (1) बिन्दु क्र. (12.1) के खण्ड (क) (ख) तथा (ग) क अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण उर्ध्वाधर (वर्टीकल) रुप से अवधारित किया जाएगा।

(2) नि:शक्त व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको/भूतपूर्व सैनिक, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में क्षैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिसूचित किया जाए तथा यह बिन्दु क्र. 12.1 के खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के अधीन यथास्थिति, उर्ध्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पौत्र, पौत्रियों और नाती/नातिन के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। नि:शक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे।

12.4 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान छात्राओं के लिए आरक्षित होंगे।

12.5 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत् अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटे भरी जायेगी ।

12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा, 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.7 जम्मू-कश्मीर विस्थापितों तथा आश्रितों का 5 प्रतिशत तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।

12.8 समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्णय के अध्याधीन रहेगा।

12.10 तृतीय लिंग के व्यक्तियों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमांक डब्ल्यू. पी. (सी.) 400/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथॉरिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Goverment to take Steps to treat then as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments" का कड़ाई से पालन किया जाए।

13. **अधिभार :-**

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांको के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा, अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र जमा करने के पश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 **एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स**

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ा जावें।

(क) एन.एस.एस./एन.सी.सी. ए सर्टिफिकेट	02 प्रतिशत
(ख) एन.एस.एस./एन.सी.सी. बी सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	03 प्रतिशत
(ग) सी सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स	04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय संचालनालयीन ए.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को	04 प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ़ में एन.सी.सी./एन.एस.एस. कंटिन्जेन्स में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट्स	05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट्स	10 प्रतिशत
(झ) छत्तीसगढ़ का सर्वश्रेष्ठ एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(य) इयूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी. कैडेट	10 प्रतिशत
(र) भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में भाग लेने वाले कैडेट, एन.सी.सी./एन.एस.एस. के लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले कैडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जम्बूरी के लिये चयनित होने वाले विद्यार्थियों को	15 प्रतिशत

13.2 आनर्स विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नात्तकोत्तर कक्षा में उसी विषय पर प्रवेश लेने पर 10 प्रतिशत

13.3 खेलकूद/साहित्यिक/सांस्कृतिक/क्विज/रुपांकन प्रतियोगिताएं :-

(1) लोक शिक्षण संचालनालय अथवा छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला, संभाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में :-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 02 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अर्न्तक्षेत्रीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू. द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में:-

(क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को — 06 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को — 07 प्रतिशत
(ग) संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में :-

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को — 15 प्रतिशत
(ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत
(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को — 10 प्रतिशत

13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईंन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक /कला क्षेत्र में संचालित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को — 10 प्रतिशत

13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र. से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में

(क) छत्तीसगढ़/म.प्र. का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को — 10 प्रतिशत
(ख) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम के सदस्यों को — 12 प्रतिशत

13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को — 01 प्रतिशत

13.7 विशेष प्रोत्साहन :-

छत्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन.सी.सी./खेलकूद को प्रोत्साहन देने के लिए एन.सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कैडेट्स तथा ओलम्पियाड/एशियाड/स्पोर्ट्स आथरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में सीधी प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

(1) इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होने निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय मे प्रस्तुत किया है, परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुन: प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.8 प्रथम वर्ग में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र स्नात्तकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नात्तक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नात्तकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

14. संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :-

स्नात्तक/स्नात्तकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों का उनके प्राप्तांको से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांको पर देय होगा। महाविद्यालय में स्नात्तक/स्नात्तकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितम्बर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कंडिका 2.2 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल गुणानुक्रम सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।

शोध छात्र :-

शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर प्राचार्य इस समयावधि को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे. प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही नियमित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु महाविद्यालय में पदस्थ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रुप में कार्यरत हैं, तो सक्षम अधिकारी द्वारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं प्रति तीन माह के कार्य प्रगति रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका शोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपरान्त शोध का प्रबंध उस महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे । **जो संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपठित करते हुए लागू होगा ।**

16. **विशेष :-**

16.1 जाली प्रमाण-पत्रों, गलत जानकारी, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है तब ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा ।

16.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक माह के अधिक समय तक अनुपस्थिति रहने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा ।

16.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों में लिप्त विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

16.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा ।

16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रुप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये ।

16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है । इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन/संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय को होगा ।

0000000

शारीरिक शिक्षा विभाग

विद्यार्थियों के चहुमुंखी विकास के लिए पाठयक्रम शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा विभाग द्वारा खेलकूद का प्रशिक्षण दिया जाता है । राज्य स्तरीय, राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले चुके विद्यार्थी को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी । राज्य शासन द्वारा घोषित नीति के तहत छात्र/छात्रा को किसी न किसी खेल में प्रतिभागी होना अनिवार्य है ।

जिला स्तरीय प्रतियोगिता में महाविद्यालय को प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को टी. शर्ट-शार्टस, शूज, खेल सामग्री प्रदान किया जाता है ।

राज्य स्तरीय/वि.वि. स्तरीय/अखिल भारतीय वि.वि. खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को महाविद्यालय द्वारा प्रोत्साहन हेतु टी शर्ट शार्ट्स, निकेप-इंकलेट, ट्रेक-शूट-शूज, मोमेन्टो, प्रमाण पत्र तथा खेल सामग्री भी दिया जाता है ।

महाविद्यालय में निम्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षण देकर राज्य स्तरीय, विश्वविद्यालयीन स्तर प्रतियोगिता हेतु टीम का चयन क्रीड़ा समिति के तत्वावधान में किया जाता है :-

1. क्रिकेट (म.पु.)	2. बैडमिन्टन (म.पु.)	3. हॉकी	4. फुटबाल
5. कबड्डी (म.पु.)	6. व्हालीबॉल (म.पु.)	7. शतरंज (म.पु.)	8. खो-खो (म.पु.)
9. टेबल-टेनिस (म.पु.)	10. एथलेटिक्स (म.पु.)	11. जिमनेजियम (आधुनिक जिम)	12. हैण्डबाल (म.पु.)
13. साफ्टबाल (म.पु.)	14. बाक्सिंग (म.पु.)	15. नेटबाल (म.पु.)	
16. पावर लिफ्टिंग	17. वेट लिफ्टिंग	18. क्रांस-कंट्री	

नियमित विद्यार्थी के रूप में वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता

1. प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
2. कुल सात आंतरिक परीक्षाओं में से कम से कम 5 में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
3. एन.एस.एस. कैम्प/खेलकूद/राज्य स्तरीय प्रतिस्पर्धाओ में सम्मिलित हुए छात्रों को उपस्थित माना जायेगा।
4. उपस्थित की प्रथम गणना 31 अक्टूबर तक की जाएगी।
5. कम उपस्थित वाले छात्रों को तथा उनके पालकों को सूचना दी जाएगी।
6. उपस्थित की द्वितीय गणना 17 फरवरी तक की जाएगी।
7. विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इनसे अतिरिक्त शुल्क ले सकता है।
8. सत्र 2006-2007 से आधार पाठ्यक्रम में हिन्दी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा में उत्तीर्ण होने के लिए पृथक-पृथक 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।
9. महाविद्यालय में त्रैमासिक अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक पूर्व परीक्षा आयोजित होती है, जिसमें बैठना अनिवार्य है। विद्यार्थियों की प्रगति से पालकों को अवगत कराया जायेगा।

छात्र-पालक समिति

महाविद्यालय में छात्र-पालक समिति का गठन किया गया है। विद्यार्थियों की प्रगति से पालकों की बैठक बुलाकर जानकारी दी जावेगी तथा पालकों से आवश्यक सुझाव भी प्राप्त किये जावेंगे।

महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया

नियमोपनियम

महाविद्यालय प्रशासन विद्यार्थियों से यह अपेक्षा रखता है कि :-

1. महाविद्यालय में विद्यार्थी का प्रवेश मूलत: विद्या अध्ययन के लिए हुआ है। छात्र होने के नाते उसका ज्ञान, उत्साह एवं व्यक्तित्व उसके क्रियाकलापों से परिलक्षित होना चाहिए।
2. महाविद्यालय के समस्त नियम विद्यार्थियों को संस्था की गरिमा बनाये रखते हुए महाविद्यालयीन संसाधनों के अनुकूल उपलब्ध व्यवस्था का उपयोग करते हुए अध्ययन करना चाहिए।
3. महाविद्यालय में अध्ययनरत् समस्त विद्यार्थी दलगत राजनीति व प्रदर्शन से दूर रहते हुए शांति व्यवस्था को बनाये रखते हुए महाविद्यालय प्रशासन में अपना सहयोग देंगे।
4. उच्च शिक्षा संचालनालय छ.ग. हेमचंद यादव महाविद्यालय, दुर्ग से प्राप्त होने वाले आदेशों, निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेंगे।
5. प्राचार्य को यह अधिकार है कि निम्न कारणों के संदर्भ में विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त कर सकता है :-
   (अ) अध्यादेश क्रमांक 6 नियम (13) के अंतर्गत निहित प्रावधानों के उल्लंघन करने पर।
   (ब) निर्धारित समय के अंत तक महाविद्यालय शिक्षण शुल्क या अन्य देयताओं के भुगतान न करने पर।
   (स) प्राचार्य की सम्मति से विद्यार्थी का आचरण संतोष जनक न होने पर।
   (द) जिलाध्यक्ष/आयुक्त/पुलिस अधीक्षक से प्राप्त काली सूची में नाम शामिल होने पर।
   (इ) किसी भी प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र में गलत जानकारी देने या जानकारी छिपाने पर।
6. अपरिहार्य कारणों से महाविद्यालय में अनुपस्थित रहने पर विद्यार्थी को 15 दिन पूर्व व विशिष्ट कारणों पर 7 दिन पूर्व आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
7. प्राचार्य को विवरण पत्रिका में दिये गये नियमों में संशोधन का अधिकार है। विशेष परिस्थितियों में बिना कारण बताये विद्यार्थी को प्रवेश से वंचित कर दे, इस संबंध में कानूनी कार्यवाही का अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं है।

छत्तीसगढ के शासकीय महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए आचरण-संहिता

आचार संहिता :-

प्रत्येक छात्र-छात्रा को यह ध्यान रखना होगा कि उनके आचरण से महाविद्यालय की प्रतिष्ठा एवं कीर्ति में वृद्धि हो अनुशासन का सदा पालन करें। कभी भी अश्लील या अशोभनीय व्यवहार न करें। धुमपान एवं मादक पदार्थों का सेवन वर्जित है। कॉलेज की सम्पत्ति, भवन, पुस्तकालय प्रयोगशाला आदि की सुरक्षा प्रत्येक छात्र का दायित्व है। आन्दोलन, हिंसा, आतंक आदि द्वारा किसी समस्या का हल न लिकालें, अपितु उन्हें गुरूजन अथवा प्राचार्य के समक्ष विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करें। दलगत राजनीति दलों अथवा समाचार पत्रों के माध्यम से हस्तक्षेप नहीं करेंगे। छात्र अध्ययन एवं पाठ्येत्तर कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेगा तथा परीक्षा में अनुसूचित साधनों का प्रयोग दुराचार माना जाएगा। महाविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी नियमों एवं अनुशासन का पालन आवश्यक होगा। उन नियमों के भंग होने पर छात्र/छात्रा को कालेज से निष्कासित किया जा सकेगा, जिसकी जवाबदारी स्वयं छात्र/छात्रा की होगी।

सामान्य नियम :-

छत्तीसगढ में शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरश: पालन करना होगा. इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दंडात्मक कार्यवाही का भागीदार होगा.

1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आएगा. किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए.
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगाएगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा.
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार असंसदीय व्यवहार का प्रयोग गाली गलौच, मारपीट या अपने अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा.
4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा.
5. महाविद्यालय को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्व्यसन और मितव्ययी जीवन निर्वाह करेगा.
6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा.
7. महाविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवालों को गंदा करना या गंदी बातें लिखना सख्त मना है. विद्यार्थी असामाजिक तथा अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी.
8. वह अपनी मांगों का प्रदर्शन आंदोलन हिंसा या आतंक फैलाकर नहीं करेगा. विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगों को मनवाने के लिए राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा.

अध्ययन संबंधी नियम :-

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75 प्रति. उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा वह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी.
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा. उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ सुथरा रखेगा.
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धारित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दंड देना होगा.
4. अध्ययन से संबंधित किसी भी कठिनाइयों के लिए वह गुरूजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन करेगा.
5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशाला या वाचनालय में पंखे,लाईट, फर्नीचर, फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दंडात्मक आचरण माना जाएगा.

परीक्षा संबंधी नियम :-

1. विद्यार्थी को सत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है.
2. अस्वस्थतावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सालय से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वस्थ होने उपरांत परीक्षा देगा.
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जाएगा.

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्र :-

1. यदि किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा.
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो छत्तीसगढ शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना पृतिषेध अधिनियम, 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर अथवा रैगिंग के लिए प्रेरित करने पर पाँच साल तक कारावास की सजा या पाँच हजार रूपये अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है.
3. यदि विद्यार्थी समय-सीमा में शुल्क का भुगतान नहीं करता तो उसका नाम काट दिया जाएगा.
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपाएगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निरस्त कर उस महाविद्यालय से पृथक कर दिया जाएगा.
   महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए आवेदन पत्र में उसके पालक अथवा अभिभावक का घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे.
5. स्थानांतरण प्रमाण पत्र लेते समय (जब विद्यार्थी महाविद्यालय छोड़ रहा हो) तब अमानती राशि उसे वापस कर दी जायेगी। इस निधि के वापसी के समय विद्यार्थी को संबंधित रसीद प्रस्तुत करनी होगी। यदि छात्र अमानती राशि 3 वर्ष तक नहीं ली जायेगी तो अमानत राशि राजसात समझी जायेगी।

6. उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के अधीन इस विवरण पत्रिका के किसी भी नियम/उपनियम अथवा किसी भी अधिनियम में परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को है। प्राचार्य द्वारा विज्ञापित तथा प्रसारित सभी आदेश एवं निर्देश विद्यार्थी पर समान रूप से अनिवार्यत: लागू होंगे।

CARRIER COUNSELLING AND PLACEMENT CELL

Dr. K.C.B Govt College, Bhilai-3 has a career Counsilling and Placement cell which helps the students to choose their career through counsilling. Many Students were benefited by this gesture.

शिकायत पेटी की व्यवस्था :-

महाविद्यालय के प्राचार्य कक्ष के समक्ष शिकायत पेटी रखी गई है जिसमें निम्नलिखित विषयों संबंधित वास्तविक शिकायत कोई भी विद्यार्थी अपने नाम से अथवा बिना नाम के शिकायत डाल सकता है :-

1. महाविद्यालय अथवा छात्रावास में रैंगिंग गतिविधी/अशांति उत्पन्न करने वाला कोई कार्य अनुशासनहीनता, पीने के पानी एवं साफ सफाई विषयक।
2. कक्षाओं में फर्नीचर, विद्युत उपकरण, ब्लैकबोर्ड आदि विषयक।
3. संरक्षित निधि छात्रवृत्ति अन्य प्रमाण पत्र विषयक।
4. किसी कक्षा/वर्ग में अध्यापन नहीं होने विषयक एवं परीक्षा प्रकोष्ठ की कार्य प्रणाली विषयक।
5. महाविद्यालय में कार्यालय की कार्यप्रणाली विषयक एवं सुझाव भी इस पेटी में डाले जा सकते हैं जो महाविद्यालय की कार्यप्रणाली में सकारात्मक सुधार लाये.

विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं :-

1. महाविद्यालय की समस्त आवश्यक सूचनाओं के लिए सूचना पटल को आवश्यक रूप से देखते रहें तथा नियम समय में पालन करें।
2. प्रवेश संबंधी लिपिक को शुल्क देकर रसीद प्राप्त करें तथा समस्त रसीदें सत्रांत तक संभाल कर रखें।
3. महाविद्यालय में परिचय पत्र अपने पास रखें व मांगने पर अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें।
4. शुल्क रसीद के साथ ही परिचय पत्र प्राप्त कर लें। इसके नष्ट या गुम होने पर हलपनामा जमा कराने पर केवल एक बार ही दुबारा परिचय पत्र शुल्क लेकर प्रदान किया जायेगा।
5. प्रवेश आवेदन पत्र, परिचय पत्र आदि कार्ड में आवश्यक पूर्तियां विद्यार्थी स्वयं करें।
6. महाविद्यालय में शुल्क जमा करने का समय प्रात: 11 बजे से मध्यान्ह 1.30 बजे तक का है।
7. चरित्र प्रमाण पत्र सत्र में 1 बार ही विद्यार्थी को दिया जायेगा। इस हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र अध्यापन करने वाले शिक्षक से अनुशंसित करा कर ही कार्यालय में प्रस्तुत करें।
8. महाविद्यालय से स्थानांतरण प्रमाण पत्र व चरित्र प्रमाण पत्र विद्यार्थी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के दूसरे कार्य दिवस को प्राप्त हो सकेगा।
9. महाविद्यालय में अध्यनरत् अनुसूचित जाति/जनजाति/अ.पि.व./बी.पी.एल./अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को छ.ग. शासन/केन्द्र शासन द्वारा छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है। इस हेतु छात्र-छात्राएं नोटिसबोर्ड तथा कार्यालय के संपर्क में रहें तथा समयसीमा में आवेदन प्रस्तुत करें।

टीप :-

1. राष्ट्रीय छात्रवृत्तियों के आवेदन पत्र छात्र-छात्राओं को छ.ग. माध्यमिक शिक्षा मंडल/विद्यालयों द्वारा उनके घर के पते पर योग्यता सूची के अनुसार भेजे जाते हैं। इन आवेदन पत्रों को छात्रों द्वारा संस्था प्रमुख के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय छ.ग. शासन इंद्रावती भवन रायपुर को भेजना चाहिए।
2. अन्य शेष सभी छात्रवृत्तियों के लिए महाविद्यालय के माध्यम से आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय रायपुर को निर्धारित तिथि पर भेजें जाने चाहिए।
3. महाविद्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर तिथियां घोषित की जायेगी।

उपस्थिति संबंधी विश्वविद्यालय के नियम :-

विश्वविद्यालय अधिनियम 1976 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 6 के अनुसार महाविद्यालय के नियमित छात्र/छात्राओं को विश्वविद्यालय परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता के लिये 75 प्रतिशत आवश्यक है। इस प्रावधान का पालन दृढ़ता से किया जायेगा।

विश्वविद्यालय अधिनियम प्रावधान :-

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अधीन बनाये गये अध्यादेश क्रमांक 7 के अनुसार महाविद्यालय के छात्र/छात्रा द्वारा महाविद्यालय में अथवा बाहर अनुशासन भंग किये जाने या दुराचरण किये जाने पर ऐसे छात्र/छात्रा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिये प्राचार्य संक्षम है। अनुशासनहीनता के लिये उश्त अध्यादेश में निम्नांकित दण्ड का प्रावधान है :-

(1) निलंबन (2) निष्कासन (3) वि.वि. परीक्षा में सम्मिलित होने से रोकना

पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियां :-

इस महाविद्यालय में निम्नांकित पाठ्यक्रम सहगामी गतिविधियां संचालित की जाती है।

(1) एन.सी.सी. (2) एन.एस.एस. (3) रेड क्रास (4) क्रीड़ा प्रतियोगिता (5) साहित्यिक गतिविधियां (6) सांस्कृतिक गतिविधियां (7) रूपांकन प्रतियोगिताएं (8) सामान्य ज्ञान प्रश्न मंच (9)कम्प्यूटर शिक्षा

दैनिक अध्यापन कार्य के पश्चात ही पाठ्येत्तर क्रियाकलाप होंगे।

महाविद्यालय में लिये जाने वाले

शासकीय शुल्क

क्र.	शुल्क का नाम	-	राशि	क्र.	शुल्क का नाम	-	राशि
1.	शिक्षण शुल्क स्नातक स्तर (केवल छात्र)	-	115.00	2.	स्नातकोत्तर प्रति सत्र (केवल छात्र)	-	126.00
3.	प्रायोगिक शुल्क प्रतिसत्र	-	20.00	4.	स्टेशनरी शुल्क	-	2.00
5.	प्रवेश शुल्क	-	3.00	6.	पुन: प्रवेश शुल्क (पुन: प्रवेश लेने पर)	-	5.00

अशासकीय शुल्क

क्र.	शुल्क का नाम	-	राशि	क्र.	शुल्क का नाम	-	राशि
1.	छात्र संघ शुल्क	-	2.00	2.	निर्धन छात्र कल्याणनिधि	-	5.00
3.	परिचय-पत्र	-	40.00	4.	महाविद्यालय विकास शुल्क	-	50.00
5.	सम्मिलित निधि	-	32.00	6.	वार्षिकोत्सव	-	5.00
7.	चिकित्सा शुल्क	-	5.00	8.	विभागीय पुस्तकालय शुल्क (केवल स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए)	-	15.00
9.	छात्रा कामन कक्ष	-	30.00	10.	शारीरिक शिक्षण शुल्क	-	150.00
11.	महाविद्यालयीन आंतरिक जांच परीक्षा	-	100.00	12.	ग्रंथालय विकास शुल्क	-	20.00
13.	सुरक्षा निधि (स्नात्तक कला एवं वाणिज्य)	-	60.00	14.	सुरक्षा निधि (स्ना. विज्ञान एवं स्नातको.)	-	100.00
15.	रेडक्रास शुल्क	-	40.00	16.	पत्रिका शुल्क	-	60.00
17.	वाचलनालय	-	20.00	18.	सायकल स्टैण्ड शुल्क	-	50.00

जनभागीदारी शुल्क

क्र.	शुल्क का नाम	-	राशि	क्र.	शुल्क का नाम	-	राशि
19.	जनभागीदारी शुल्क (स्नात्तक बी.ए./बी.काम.)	-	400.00	20.	जनभागीदारी शुल्क (स्नात्तकोत्तर)	-	500.00
21.	जनभागीदारी शुल्क (स्नात्तक विज्ञान)	-	450.00				

केवल स्ववित्तिय पाठ्यक्रम हेतु शुल्क

22.	बी.काम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन) शुल्क	-	1000.00	23.	पी.जी.डी.सी.ए. शुल्क	-	7000.00

नोट :- (1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों एवं सभी छात्राओं को शिक्षण शुल्क माफ रहेगा। उन्हें केवल अन्य शुल्क देनें होंगे।

(2) प्रवेश के समय, समस्त शासकीय एवं अशासकीय शुल्क एक साथ एक किश्त में देय होंगे।

(3) सुरक्षा निधि, महाविद्यालय छोड़ने तथा स्थानांतरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने पश्चात लौटाई जावेगी यह राशि 3 वर्ष के अन्दर न लेने पर राजसात हो जावेगी।

शुल्क में रियायतें :-

1. **अनुसूचित जाति. अनुसूचित जनजाति रियायतें :-**

   अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्र शिक्षण शुल्क भुगतान से मुक्त है. किन्तु उन्हें अन्य शुल्क देने होंगे इसके लिए जिलाधीश से या अन्य अधिकृत अधिकारी से प्राप्त जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2. **तृतीय - चतुर्थ श्रेणी के छ.ग. राज्य शासन के शासकीय कर्मचारी को रियायतें :-**

   छ.ग. शासन के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के शासकीय कर्मचारी/मृत शासकीय सेवक/सेवा निवृत्त शासकीय सेवक के पुत्र (परिवार के अन्य सदस्य नहीं) शिक्षण शुल्क भुगतान से मुक्त है। परन्तु उन्हें अन्य समस्त शुल्क पूरे देने होंगे। यह रियायत छात्रों को जिस कार्यालय में उनके माता-पिता सेवारत हो, उस कार्यालय के सर्वोच्च अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्राप्त होगी।

3. शासकीय तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में छूट है। स्नातकोत्तर कक्षा के छात्रों को यह रियायत नहीं है।

4. शुल्क में रियायत, माता/पिता द्वारा अपने कार्यालय प्रमुख से प्रमाणित वेतन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर होगी।

5. कोई छात्र/छात्रा अनुत्तीर्ण होता है तो उसे शुल्क में रियायत नहीं मिलेगी। उत्तीर्ण होने पर पुन: सुविधा प्राप्त होगी।

6. यदि छात्र द्वारा अनुशासनहीनता या हड़ताल में भाग लिया जाना पाया जाता है तो बिना किसी सूचना के यह सुविधा समाप्त की जा सकेगी।

7. यदि राजनैतिक पीड़ितों के बालक उसके लिए निर्दिष्ट छात्रवृत्ति के उपयुक्त सिद्ध नहीं होते हैं, उसी स्थिति में यह शिक्षण-शुल्क के भुगतान से मुक्त रहेंगे, परंतु किसी भी हालत में उन्हें दोनों सुविधाओं का उपयोग का अधिकार नहीं होगा।

8. यदि दो या दो से अधिक भाई एक ही सत्र में इसी संस्था में अध्ययनरत है तो बड़े भाई को पूर्ण शुल्क व शेष को आधा शिक्षण शुल्क देना होगा।

9. कृषकों के लिए सुविधा - इसके अंतर्गत उन कृषकों के बच्चों को शिक्षण शुल्क में शासन द्वारा निर्धारित दर पर रियायतें दी जाएगी, जिनके पास 20 एकड़ से कम कृषि योग्य भूमि हो।

   शिक्षण शुल्क के अतिरिक्त अन्य शुल्क पटाने होंगे। कृषक रियायत पात्रता प्राप्त करने के लिए इस आशय का प्रमाण-पत्र जिलाधीश द्वारा अधिकृत अधिकारी से प्राप्त कर संलग्न करना होगा।

प्रवेश के समय संलग्न करने हेतु सहपत्र

(1) इस महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पूर्व जिस विद्यालय/महाविद्यालय में विद्यार्थी ने अध्ययन किया है, उस शिक्षा संस्थान द्वारा प्रदत्त मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवश्यक होगा, किन्तु इस महाविद्यालय में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के लिए इसकी आवश्यकता नहीं है।

(2) हाई स्कूल परीक्षा से लेकर अंतिम उत्तीर्ण परीक्षा की समस्त अंकसूची की स्वप्रमाणित प्रति।

(3) यदि विद्यार्थी ने स्वाध्यायी तौर पर परीक्षा उत्तीर्ण की है. तो किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त सदाचार का प्रमाण पत्र।

(4) छ.ग. निवास प्रमाण पत्र व आवश्यकतानुसार जाति प्रमाण पत्र।

(5) बिना प्रवजन प्रमाण पत्र के प्रवेश नहीं दिया जाएगा और यदि प्रवेश दिया गया, तो 15 सितम्बर तक प्रवजन प्रमाण पत्र न देने पर विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।

(6) प्रवेशाधिकारी प्राध्यापक/सहा. प्राध्यापक की संस्तुति।

(7) एक फोटो (यदि परिचय पत्र न हो तो 2 फोटो)।

(8) विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क नवंबर या दिसंबर माह में वि. वि. नियमानुसार देय होगा।

प्रवेश - पत्र :-

प्रत्येक छात्र-छात्रा को महाविद्यालय में प्रवेश देने के समय परिचय-पत्र दिया जायेगा। जिसे किसी भी समय मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मांगे जाने पर परिचय-पत्र प्रस्तुत न किये जाने की दशा में छात्र-छात्राओं को किसी भी शिक्षण कार्य शारीरिक शिक्षा, कक्षा अथवा महाविद्यालयीन समारोह में सम्मिलित होने से रोका जा सकता है। पुराने छात्र अपने प्रवेश के 15 दिनों के भीतर परिचय - पत्र का नवीनीकरण करा लेवें। परिचय - पत्र खो जाने, नष्ट हो जाने पर छात्र-छात्रा को शुल्क 10=00 जमा करके परिचय - पत्र की दूसरी प्रतिलिपि कार्यालय से प्राप्त करनी होगी। फोटो छात्र-छात्रा को देना होगा।

पुस्तकालय :-

महाविद्यालय के पुस्तकालय में लगभग 23,000 पुस्तकें है। इससे सभी कक्षाओं के विद्यार्थी लाभांवित होते हैं। इसके अलावा महाविद्यालय में विभिन्न समाचार-पत्र-पत्रिकाएँ आती है। महाविद्यालय में अलग से वाचनालय कक्ष है। जिसके खुलने का समय फलक पर समय - समय पर सूचित किया जाता है।

महाविद्यालय के सभी नियमित छात्रों को पुस्तक प्राप्त करने की सुविधा है। पुस्तक लेते समय व वापस करते समय व पत्रिकाओं के निरीक्षण व उनका अध्ययन उन पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। छात्र एक मय से दो पुस्तकें सामान्यत: पुस्तकालय से 14 दिनों की अवधि हेतु प्राप्त कर सकते हैं। इस अवधि के पश्चात पुस्तक वापस न करने वाले विलंब के लिए प्रतिदिन 0.25 पैसे के हिसाब से अर्थदंड देना होगा। वाचनालय की अन्य सामग्री एवं पुस्तकालय के संदर्भ ग्रंथ निर्गमित नहीं किये जावेगें। अत: छात्रगण इनका उपयोग वाचनालय की अन्य सामग्री एवं पुस्तकालय में ही करें।

टीप :- वर्तमान सत्र में सत्रांत में धनराशि जमाकर पुस्तकों के निर्गमन की व्यवस्था समाप्त की जा रही है।

अनुशासन :-

महाविद्यालय के विद्यार्थियों का अनुशासन सदैव सराहनीय रहे ऐसा प्रयास छात्रों की ओर से किया जावेगा इसी के आधार पर विद्यार्थियों को चरित्र प्रमाण-पत्र प्रदान किया जावेगा, विद्यार्थियों का व्यवहार व आचरण अपने सहपाठियों के साथ अच्छा रहेगा ऐसी अपेक्षा की जाती है। महाविद्यालय प्रांगण व बाहर विद्यार्थी अपने विवेक से व्यवहार करें व महाविद्यालय की गौरवमयी प्रतिष्ठा को बनाएं रखोगे। महाविद्यालय के नियमों को पालन उसका कर्तव्य होगा।

अनुशासन समिति :-

विद्यार्थियों के आपसी मतभेदों व झगड़ों को निपटाने के लिए विद्यार्थियों की कठिनाईयों को दूर करने के लिए उन्हें हर प्रकार की नियमानुकूल सहायता देने के लिए तथा प्राचार्य को अनुशासन संबंधी कार्यों में सलाह देने के लिए प्राध्यापकों की एक समिति का प्रावधान है। इस समिति का गठन निम्न प्रकार से होगा।

(1) मुख्य प्राक्टर (2) प्राक्टर (3) वरिष्ठ प्राध्यापक (प्राचार्य द्वारा मनोनीत) (4) अन्य प्राध्यापक (प्राचार्य द्वारा मनोनीत)

टिप्पणी :-

(क) अपूर्ण अथवा वांछित प्रमाण पत्रों रहित अथवा अंतिम तिथि के बाद प्रस्तुत होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

(ख) प्रत्येक छात्र स्वयं व्यक्तिगत रुप से प्रवेश संबंधी कार्य पूर्ण करेगा तथा शुल्क भी स्वयं जमा करेगा। प्रत्येक छात्र से केवल उसी का शुल्क स्वीकार किया जावेगा।

(ग) प्रवेश संबंधी सभी सूचनायें छात्र स्वयं सूचना फलक पर देखें।

(घ) अस्थायी प्रवेश विशेष परिस्थिति में दिया जावेगा। परंतु निर्धारित अवधि तक प्रवेश को स्थायी करा लेने का उत्तरदायित्व छात्र का होगा अन्यथा प्रवेश अपने आप निरस्त हो जावेगा।

(च) प्रत्येक विद्यार्थी का रविशंकर विश्वविद्यालय में नामांकन आवश्यक है। महाविद्यालय इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। जब तक छात्र को नामांकन क्रमांक प्राप्त नहीं हो जाता प्रवेश अस्थायी माना जावेगा।

(छ) प्राचार्य को यह अधिकार है कि बिना कारण बताये किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश के लिए मना कर दें। और इस विषय में कोई भी कानूनी कार्यवाही करने का हक किसी भी व्यक्ति को नहीं होगा।

(ज) प्रत्येक विद्यार्थी का नाम विषय की कक्षा, पुस्तकालय एन.सी.सी. यूनिट एवं क्रीड़ा के रजिस्टरों में प्रवेश प्राप्ति के बाद ही अंकित किया जावेगा।

विशेष निर्देश:-

(1) इस विवरणिका में वर्णित सभी नियमों का तथा समय-समय पर प्राचार्य द्वारा प्रसारित अन्य नियमों, आदेशों एवं सूचनाओं का पालन करना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है।

(2) प्रत्येक छात्र का कर्तव्य है कि वह महाविद्यालय के सूचना फलक को प्रतिदिन देवें इसमें छात्रों को सभी आवश्यक सूचना मिल जावेगी और गलतियों से बचेंगे।

(3) छात्र अनुशासन में रहे नियमित रुप से अपनी कक्षाओं में आकर ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं अतिरिक्त समय का सदुपयोग करें।

(4) कोई शिकायत होने पर कानून अपने हाथ में न लें, संबंधि अधिकारी से रिपोर्ट करें ताकि उचित कार्यवाही की जा सकें।

(5) अपने वाहन यथा स्थान में रखें।

(6) परीक्षा के दिनों में महाविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करें।

(7) अभिभावकों और पालकों से अपेक्षा है कि वे छात्र को उचित निर्देश दे तथा महाविद्यालय से उनके अध्ययन संबंधी शुल्क उपस्थिति एवं आचरण संबंधी जानकारी प्राप्त करते रहें।

(8) छात्रों को दीपावली व ग्रीष्म अवकाश के समय घर जाने के लिए रेलवे कंसेप्शन की व्यवस्था है। इस सुविधा के लिए उचित समय पर पालक के प्रति हस्ताक्षर सहित आवेदन देना चाहिए।

(9) प्रत्येक छात्र को अपने पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के अनुसार समय - समय पर होने वाले संशोधनों एवं परिवर्तनों से अवगत रहना चाहिये। इस संबंध में महाविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

(10) छात्रों को यह ध्यान रखना चाहिये की जो छात्र महाविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक सांस्कृतिक गतिविधियों से संबंधित है, परिषद् में पदाधिकारियों या सदस्य के रुप में कार्य करते है या किसी टीम के कप्तान या सदस्य है या विभिन्न अवसरों पर आयोजित प्रतियोगिता में प्रथम या द्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं वे छात्र तत्संबंधी प्रमाण-पत्र संबंधित प्राध्यापक या अधिकारी से सत्र के अंत तक अवश्य प्राप्त कर लें।

अगले सत्र में पिछला किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना संभव न होगा। (केबल टी.सी. और प्रमाण-पत्र को छोड़कर)

(11) महाविद्यालय द्वारा प्रवेश की अंतिम तिथियां निर्धारित की जाती है। ये केवल मार्गदर्शक है और इन तिथियों तक प्रवेश देने के लिए महाविद्यालय को बाध्य नहीं किया जा सकता। विश्वविद्यालय भले ही प्रवेश देने को तैयार हो महाविद्यालय अपनी सुविधा के अनुसार प्रवेश बंद करने के लिए स्वतंत्र होगा।

महाविद्यालय द्वारा निश्चित की गई तिथि तक सभी प्रवेश नियमानुसार पूर्ण कर लिये जावेंगे और उसके बाद शासन की पूर्वानुमति के बिना काई प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

(12) उपरोक्त सभी नियमों में परिवर्तन, संशोधन परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

ग्रंथालय एवं वाचनालय

अध्यन व अध्यापन को सुचारू रूप से संचालित करने में ग्रंथालय की भूमिका अद्वितीय है। छात्रों को इनके उपयोग हेतु प्रवेशापरांत पंजीयन कराना होता है। पुस्तकों के निर्गमन के समय परिचय-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

1. छात्र एक बार में दो पुस्तकें 15 दिन की अवधि के लिए प्राप्त कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् पुस्तक लौटाने पर 20 पैसे प्रतिदिन की हिसाब से शुल्क लिया जायेगा।
2. छात्र/छात्रा पुस्तक ले जाने से पूर्व उसकी सावधानीपूर्वक जांच कर ले। यदि पुस्तक विकृत हो या कोई पन्ना न हो तो उसकी सूचना तुरंत ग्रंथपाल को दें। पुस्तक निर्गमन के पश्चात् पुस्तक विकृत होने पर समस्त दायित्व विद्यार्थी का होगा। पुस्तक के दुगनी कीमत के साथ 10/- रू. अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा।
3. वाचनालय में पत्र/पत्रिकाओं का उपयोग किया जा सकता है उसका निर्गमन नहीं होगा।
4. पुस्तकालय की शांति भंग करना, अव्यवस्था फैलाना, नुकसान पहुँचाना गंभीरतम अपराध है। ऐसे अपराधी छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।
5. पुस्तकें गुमने पर पुस्तक के बदले पुस्तक ली जायेगी, अथवा बाजार भाव के अतिरिक्त आर्थिक दण्ड लिया जायेगा।
6. एस.सी., एस.टी., विद्यार्थियों हेतु बुक बैंक योजना का भी प्रावधान है।
7. गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले माता/पिता/अभिभावक के पुत्र/पुत्री पाल्यों को नि:शुल्क पुस्तकें एवं छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता शासन के निर्देशानुसार है।
   ग्रंथालय एवं वाचनालय में संदर्भ ग्रंथों, पत्रिकाओं एवं अन्य पुस्तकों का संग्रह अध्ययन हेतु उपलब्ध है तथा छात्र अपना परिचय पत्र जमा कर ग्रंथालय में उनका अवलोकन/अध्ययन कर सकते हैं।

विशेष :- महाविद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित साहित्य उपलब्ध है। विद्यार्थी वाचनालय में बैठकर उसका अध्ययन कर सकेंगे.

8. **नि:शुल्क स्टेशनरी** -छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा महाविद्यालय में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को सत्र में एक बार प्रति विद्यार्थी को 50/- की स्टेशनरी नि:शुल्क प्रदाय होता है।
9. **संस्था में उपलब्ध खेल-कूद एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित जानकारी**- महाविद्यालय में छात्र-छात्राओं के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के साथ-साथ शारीरिक क्षमताओं के विकास पर ध्यान दिया जाता है। महाविद्यालय द्वारा आयोजित विभिन्न क्रीड़ा के क्षेत्र स्तर, अंतर क्षेत्र स्तर/अंतर्विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिलता है।
10. **राष्ट्रीय सेवा योजना**- महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता का विकास तथा सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक बनाया जाता है। निर्धारित कार्य घंटे पूर्ण करने पर उन्हें क्रमश: बी. एवं सी. प्रमाण-पत्र की पात्रता है।

-: छात्रवृत्तियां :-

1. **पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति**
   पोस्ट मैट्रिक आदिम जाति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को शासन द्वारा देय छात्रवृत्ति की पात्रता निम्नानुसार होगी :-
   अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आय सीमा - 250000.00 (दो लाख पचास हजार से अधिक न हो)
   पिछड़ा वर्ग - 100000.00 (एक लाख से अधिक न हो)
   संलग्न- आय की मूल प्रति, निवास, जाति (तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित) एवं अंकसूची की छायाप्रति, गेप होने पर, आधार कार्ड, बैंक पास बुक, गेप सर्टिफिक्केट, प्रवेश शुल्क रसीद की छाया प्रति। (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति ऑनलाईन द्वारा भरा जावेगा)
2. **बी.पी.एल. छात्रवृत्ति-(गरीबी रेखा से नीचे)** छात्र-छात्रा के माता-पिता गरीबी रेखा के नीचे कार्डधारी हो।
   संलग्न- आय प्रमाण पत्र की मूल प्रति (24000.00 से अधिक न हो) तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, अंक सूची की छाया प्रति, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति, निवास प्रमाण पत्र, बैंक का खाता क्रमांक की छायाप्रति।
3. **योग्यता सह साधन छात्रवृत्ति (60 प्रतिशत से अधिक प्राप्त छात्र-छात्राओं को)**
   सलग्न- आय 1 लाख से अधिक न हो आय प्रमाण पत्र की मूलप्रति तहसीलदार द्वारा अभिप्रमाणित, बारहवी अंकसूची की छायाप्रति, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति।
4. केन्द्रीय छात्रवृत्ति (80 प्रतिशत से अधिक छात्र-छात्राओं का)
   सलग्न- बारहवी अंकसूची की छायाप्रति, प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति, नोटरी द्वारा शपथपत्र आय की मूल प्रति।
5. **खदान समूह छात्रवृत्ति**- एन.एम.डी.सी. द्वारा प्रदाय।
6. **विद्यार्थी सहायता कोष से छात्रवृत्ति**- ऐसे विद्यार्थी जिन्हें किसी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं हो रही हो एवं जिनके माता-पिता/पालक की आय रूपये 12000/- वार्षिक से कम हो वे सहायता के पात्र होंगे।
   नोट - नये प्रवेश प्राप्त विद्यार्थी को अपना खाता राष्ट्रीयकृत बैंक में खोलना अनिवार्य है।

महाविद्यालयीन समितियाँ

छात्रों, शिक्षकों व पृशासन में तालमेल बनाए रखने एवं चुस्त प्रबंधन हेतु निम्नलिखित समितियों का गठन किया गया है, जो समय-समय पर अपने कार्यों व दायित्वों का निर्वहन करती है :-

1. महाविद्यालय प्रबंधन समिति
2. प्रवेश समिति
3. क्रीडा समिति
4. छात्रवृत्ति समिति
5. अनुशासन समिति
6. निर्धन छात्र सहायता कोष समिति
7. युवा उत्सव समिति
8. छात्र उपस्थिति संकलन समिति
9. शिकायत निवारण समिति
10. महाविद्यालय परिसर विकास समिति
11. रैगिंग समिति
12. क्रय समिति
13. ग्रंथालय एवं वाचनालय समिति
14. रोजगार एवं कैरियर गाइड समिति
15. सम्मिलित निधि समिति
16. समय सारिणी समिति
17. शैक्षणिक प्रवास समिति
18. नैक कार्यान्वयन समिति
19. छात्र - पालक समिति
20. महिला प्रकोष्ठ
21. आई. क्यू. ए. सी
22. महाविद्यालय स्थानीय प्रबंधन समिति

उच्च शिक्षा विभाग का सिटीजन चार्टर

1. उच्च शिक्षा विभाग प्रदेश में उच्च शिक्षा के विकास के लिए उत्तरदायी है. विभाग के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उच्च शिक्षा के अध्ययन/अध्यापन के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालय संचालित है. जिनका शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन पर विभाग एवं विश्वविद्यालय का नियंत्रण है.
2. जन साधारण के अपेक्षाओं के अनुरूप महाविद्यालय के शैक्षणिक स्तर को बनाये रखने के कार्य में उच्च शिक्षा विभाग प्रयासरत है. शासकीय महाविद्यालयों में निम्नलिखित कार्यों के संबंध में समय-समय पर निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

स. क्र.	विवरण	जिम्मेदारी अधिकारी	समय सीमा	निर्धारित समय-सीमा में कार्यवाही न होने की दशा में किस स्तर के अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है
1.	सभी प्रकार के रिकार्डों का भुगतान	संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य	आवेदन प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर	क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा
2.	महावि. के लिए प्राचार्य द्वारा क्रय की गई सामग्री देयकों का भुगतान	संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य		

3. उपरोक्त कॉलम -2 में अंकित अधिकारी के समय-सीमा में कार्यवाही न किये जाने की शिकायत या अन्य प्रकार की शिकायत भी की जा सकती है.मंत्रालय स्तर पर अपर सचिव. उच्च शिक्षा विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो जन शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करते है. आयुक्त उच्च शिक्षा स्तर के अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. महाविद्यालय स्तर पर प्राचार्य को जन शिकायत निराकरण के लिए जिम्मेदार बनाया गया है. शिकायतों के निराकरण के लिए महाविद्यालय स्तर पर एवं संभाग स्तर पर 15 दिन तथा राज्य स्तर पर 30 दिन की समय सीमा निश्चित की गई है.

प्रमुख सचिव
छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग

छत्तीसगढ लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2011

क्रमांक 4397/3586/11/38-1 छ.ग. लोकसेवा गारंटी अधिनियम 2011 (क्रं. 23 सन् 2011) की धारा 3, 4, 5 एवं 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद द्वारा निचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सेवा, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय सीमा, सेवा प्रदान करने वाले पदाभिहीत अधिकारी (पद) सक्षम अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का पद नाम अधिसूचित करती है :-

स. क्र.	अधिसूचित लोकसेवा	आवेदन के साथ सलंग्न किए जाने वाले दस्तावेज की सूची	सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित समय सीमा	सक्षम प्रदान अधिकारी का नाम एवं पद नाम	अपील प्राधिकारी नाम,पदनाम एवं कार्यालय का पता	अपील के निराकरण हेतु समय-सीमा
(1)	(2)	(3) (4)		(5)	(6)	(7)
1.	सभी प्रकार के रिफंड का भुगतान	आवेदन पत्र, परिचय पत्र, जमा रसीद की मूल प्रति	15 दिन	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
2.	महाविद्यालय के प्रवेश के लिए आवेदनों का निपटारा निर्धारित	आवेदन पत्र के साथ मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, विगत उत्तीर्ण परीक्षाओं की अंकसूची, छ.ग. का निवास प्रमाण पत्र, गेप होने की स्थिति में गेप सर्टिफिकेट, विगत परीक्षा छ.ग. के बाहर के बोर्ड/वि.वि. से परीक्षा उत्तीर्ण की दशा में माइग्रेशन प्रमाण-पत्र एवं दुर्ग वि.वि. से पात्रता प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म के साथ जमा करना होगा.	प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथी तक	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
3.	अ.छात्रवृत्ति स्वीकृति	निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन विगत उत्तीर्ण परीक्षा की अंकसूची एवं नियमानुसार आय, जाति, निवास, परिचय पत्र, रसीद एवं राष्ट्रीकृत बैंक खाता का छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा.	30 दिन के भीतर	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
4.	पुस्तकों का प्रदाय	स्नातक स्तर के विद्यार्थियों को 2 पुस्तकें एवं स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों को 4 पुस्तकें 15 दिन के लिए निर्गमित किया जाता है. ग्रंथालय से पुस्तकें प्राप्त करते समय ग्रंथालय कार्ड व परिचय पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।	15 दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
5.	स्थानांतरण प्रमाण पत्र जारी करना	आवेदन पत्र के साथ ग्रंथालय एवं संबंधित विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र कर संलग्न करना, विगत नियमित परीक्षा उत्तीर्ण होने की अंकसूची की छायाप्रति, परिचय पत्र, आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा।	7 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
6.	परिचय पत्र जारी करना	स्नातक एवं स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के प्रवेश हेतु आवेदन पत्र के साथ 2 पासपोर्ट फोटो लगाना आवश्यक है, शेष कक्षा हेतु पूर्व वर्ष में प्राप्त परिचय पत्र का नवीनीकरण किया जायेगा।	15 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
7.	मार्कशीट	अंकसूची प्राप्त करने हेतु परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रवेश पत्र, विशेष परिस्थिति में अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस
8.	चरित्र प्रमाण पत्र	चरित्र प्रमाण पत्र स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ दिया जाएगा, विशेष परिस्थिति में चरित्र प्रमाण पत्र हेतु आवेदन प्रस्तुत करना होगा.	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	संभागीय आयुक्त	45 दिवस

1.	पदाभिहित अधिकारी के कार्यालय में आवेदन प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी का नाम, पदनाम एवं कक्ष	डॉ. रीना मजूमदार, प्राचार्य डॉ. श्रीमती उमा आडिल सहा.प्राध्यापक
2.	अपील प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा	सक्षम अधिकारी के विनिश्चय से 30 दिवस के भीतर

डॉ. खूबचंद बघेल शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

प्राचार्य - डॉ. रीना मजूमदार

राजपत्रित पद :-

कला संकाय :-

अंग्रेजी - 1.डॉ. अमृता कस्तूरे, प्राध्यापक
2.डॉ. शीला विजय, सहा. प्राध्यापक

गृहविज्ञान - 1.डॉ. भारती सेठी, सहा. प्राध्यापक
2.डॉ. अल्पना देशपाण्डे, सहा. प्राध्यापक

समाजशास्त्र - 1.श्रीमती मंजू दाण्डेकर, सहा. प्राध्यापक
- 2.श्रीमती उमा आडिल, सहा. प्राध्यापक

हिन्दी - 1.डॉ. विनोद कुमार शर्मा, सहा. प्राध्यापक
2. डॉ. शैलेन्द्र कुमार ठाकुर, सहा. प्राध्यापक

राजनीति शास्त्र - 1.डॉ. श्रीकांत प्रधान, सहा. प्राध्यापक

अर्थशास्त्र - 1.श्री दिनेश देवांगन, सहा. प्राध्यापक

इतिहास - 1.श्रीमती श्रुति देव गावस्कर, सहा. प्राध्यापक

वाणिज्य संकाय

- 1. डॉ. अल्पना दुबे, सहा. प्राध्यापक
- 2.श्रीमती नीलम गुप्ता, सहा. प्राध्यापक
- 3. कु. दिप्ती बघेल. सहा. प्राध्यापक

विज्ञान संकाय :-

वनस्पति शास्त्र - 1. डॉ. मंजूला गुप्ता, सहा. प्राध्यापक

प्राणिशास्त्र - 1. श्रीमती रेणु वर्मा, सहा. प्राध्यापक

रसायन शास्त्र - 1. श्री दिलीप राज श्रीवास्तव, सहा. प्राध्यापक
- 2. डॉ. ममता सराफ, सहा. प्राध्यापक

भौतिक शास्त्र - 1.डॉ. मनीष कालरा, सहा. प्राध्यापक

गणित - 1.श्रीमती नीलम शर्मा, सहा. प्राध्यापक

ग्रंथालय - 1.श्री शैलेन्द्र सिंह कुशवाहा, ग्रंथपाल

क्रीड़ा विभाग- 1.डॉ. रमेश कुमार त्रिपाठी, क्रीड़ाधिकारी

सूचना प्रौद्योगिकी :- पी.जी.डी.सी.ए. (स्ववित्तिय के अंतर्गत)
- 1. श्री खोमन बंछोर, मानसेवी शिक्षक
- 2. कु. पूजा शर्मा, मानसेवी शिक्षक

अराजपत्रित पद :-

सहायक ग्रेड -2 श्री आशीष यादव

सहायक ग्रेड -3 श्रीमती प्रीति राठौर

डाटा एंट्री आपरेटर -

1. श्रीमती सावित्री चतुर्वेदी

प्रयोशाला तकनीशियन -

1. श्री जगदीश प्रसाद 2. श्री नीराचंद मेश्राम

प्रयोशाला परिचायक -

1. श्रीमती दिप्ती धार्मिक 2. श्री त्रिपती रामटेके

स्वीपर - 1. श्री भेलेश्वर प्रसाद महिपाल

महाविद्यालय में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों की संख्या

क्र.	पदनाम	स्वीकृत पद	भरें पद	रिक्त पद
1.	प्राचार्य	01	01	--
2.	प्राध्यापक	07	01	06
3.	सहा. प्राध्यापक	19	19	--
4.	क्रीड़ा अधिकारी	01	01	--
5.	ग्रंथपाल	01	01	--
6.	सहायक ग्रेड-1	01	--	01
7.	सहायक ग्रेड - 2	01	01	--
8.	सहायक ग्रेड - 3	01	01	--
9.	डाटा एंट्री आपरेटर	01	01	--
10.	प्रयोगशाला तकनीशियन	05	02	03
11.	प्रयोगशाला परिचायक	04	02	02
12.	भृत्य	02	--	02
13.	चौकिदार	01	--	01
14.	स्वीपर	01	01	--
15.	बुक लिफ्टर	01	01	--

वाचनालय

विश्व योग दिवस

जागरूकता अभियान के तहत शिवनाथ नदी तट पर स्वच्छता कार्य

एन.एस.एस. छात्र-छात्रा इकाई द्वारा स्वच्छता कार्यक्रम

स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत अंग्रेजी विभाग द्वारा कार्यक्रम

ईस्ट जोन वि.वि. कबड्डी प्रतियोगिता

कैन्टीन एवं छात्र सुविधा
परीक्षा संबंधी नियम